न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/101/2024 रजू दिनांकः 05.08.2024 रजि0 न0 2024/177

अपीलार्थीः–

श्री संतोष मीना, जे–77, तीसरा (टॉप) तल, पर्यावरण कॉम्पलेक्स, इगनु रोड़, नेब सराय, नई दिल्ली–110068

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन सचिव नगर विकास न्यास, अलवर जिला अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 27.08.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 27.05.2024 प्रस्तुत कर पत्र में वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 12.08.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने पत्र दिनांक 23.08.2024 के द्वारा जवाब प्रेषित कर अवगत कराया है, कि अपीलार्थी द्वारा प्रथम सूचना आवेदन क्रमाक 2418/03.06.2024 के द्वारा दिनांक 27.05.2024 में बिन्दु संख्या 01 से 08 की बिन्दुवार सूचना चाही गई है :–(1) बिन्दु सख्या 01, 02, 03, 04, 05, 06 एवं 08 के क्रम में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गई सूचना जिस रूप में उपलब्ध है उसे उसी रूप में उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। उपरोक्त बिन्दुओं में चाही गई सूचना प्रश्नात्मक है, जो कि "सूचना का अधिकार 2005 की धारा 2(एफ)" अन्तर्गत देय नहीं है। (2) बिन्दु संख्या 03 के क्रम में अपीलार्थी द्वारा पत्रांक 1531 दिनांक 20.05.2024 के अनुसार कार्यालय टिप्पणी के पैरा 71 में अंकित मौका रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति चाही है जो कि अपीलार्थी को पूर्व में ही न्यास पत्र दिनांक 20.05.2024 के द्वारा उपलब्ध करा दी गई है। (3) बिन्दु संख्या 07 के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्राप्त शिकायत 14.05.2024, 24.05.2024 पर की गई कार्यवाही के संबंध में सूचना चाही है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत शिकायत दिनांक 17.02.2024 पर न्यास द्वारा पूर्व में ही परिवादियां को अपने पत्रांक 230 दिनांक 06.03.2024 से सूचित कर दिया था।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना के संबंध में अपीलार्थी को सूचित किया जाकर विनिश्चय किया जा चुका है। अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।
6. उक्त आलोक में अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 27.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर अलवर
(राज0)

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)